[2024] 6 एससीआर 666 : 2024 आईएनएससी 414

प्रबीर पुरकायस्थ

बनाम

राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)

(आपराधिक अपील सं. 2577/2024)

15 मई 2024

[न्या. श्री बी.आर. गवई एवं न्या. श्री संदीप मेहता]

विचारणीय विवाद्यक

क्या अभियुक्त अपीलार्थी की गिरफ्तारी और उसके बाद प्रतिप्रेषण दोषपूर्ण था क्योंकि प्रतिप्रेषण आदेश पारित करने से पहले उसे या उसके अधिवक्ता को प्रतिप्रेषण आवेदन की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी, इस प्रकार उन्हें गिरफ्तारी के आधार के बारे में लिखित में जानकारी नहीं दी गई थी।

शीर्ष टिप्पणियां

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 - भारत का संविधान - अनुच्छेद 22(1) एवं 22(5) - यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, 22ग तथा भा.दं.सं. की धारा 153क, 120ख के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई - अपीलार्थी को इस संबंध में गिरफ्तार किया गया था, हालांकि, गिरफ्तारी ज्ञापन में 'गिरफ्तारी के आधार' नहीं थे - अपीलार्थी को बाद में प्रतिप्रेषण न्यायाधीश द्वारा पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया - इस प्रकार, अपीलार्थी को उसकी गिरफ्तारी के समय और उसे पुलिस अभिरक्षा में भेजने से पहले गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए - अपीलार्थी द्वारा गिरफ्तारी और पुलिस अभिरक्षा प्रतिप्रेषण

को चुनौती दी गई - उच्च न्यायालय की एकल न्यायपीठ द्वारा आक्षेपित निर्णय के माध्यम से अस्वीकृत किया गया - वैधता:

अभिनिर्धारित: भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) एवं 22(5) के तहत किसी अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार या निरोध के आधार को लिखित रूप में सूचित करने की आवश्यकता रक्षणीय है और किसी भी स्थिति में इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है- इस संवैधानिक आवश्यकता और वैधानिक आदेश का पालन न करने पर अभिरक्षा या नजरबंदी अवैध हो जाएगी - किसी अपराध के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार यथाशीघ्र लिखित रूप में बताए जाने चाहिए - गिरफ्तारी ज्ञापन में कहीं भी यह नहीं बताया गया था कि अपीलार्थी को किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा था - यह केवल एक निर्देशन पत्र था जिसमें औपचारिक 'कारण' दर्शाए गए थे जिनके लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा था - प्राथमिकी की प्रति पहली बार दिनांक 5.10.2023 को अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता को प्रदान की गई थी- गिरफ्तारी ज्ञापन के अनुसार अपीलार्थी को दिनांक 3.10.2023 को शाम 5:45 बजे गिरफ्तार किया गया था- जांच अधिकारी (जां.अधि.) के पास अपीलार्थी को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने और आवश्यकता पड़ने पर उसकी पुलिस अभिरक्षा प्रतिप्रेषण मांगने के लिए दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को शाम 5:44 बजे तक का समय था- अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपीलार्थी की गिरफ्तारी के बाद दिनांक 3.10.2023 को थाने में स्वयं को पेश किया एवं उसका मोबाइल नंबर जां.अधि के पास उपलब्ध था, हालांकि, अपीलार्थी को दिनांक 3.10.2023 को लगभग सुबह 6:00 बजे से पहले किसी समय प्रतिप्रेषण न्यायाधीश के निवास पर पेश किया गया- अपीलार्थी को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए, कथित तौर पर

एक प्रतिप्रेषण अधिवक्ता को न्यायालय में उपस्थित रखा गया था - यह पूरी प्रक्रिया गुप्त तरीके से की गई और यह विधि की उचित प्रक्रिया को दरकिनार करने का एक स्पष्ट प्रयास था; अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने के आधार बताए बिना उसे पुलिस अभिरक्षा में रखने का; उसे अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी की सेवाओं का लाभ उठाने के अवसर से वंचित करने का, ताकि पुलिस अभिरक्षा प्रतिप्रेषण के लिए प्रार्थना का विरोध किया जा सके, जमानत मांगी जा सके और साथ ही न्यायालय को गुमराह किया जा सके - अभियुक्त ने स्वयं के बचाव के लिए एक अधिवक्ता नियुक्त किया था, अतः कोई कारण नहीं था कि प्रस्तावित प्रतिप्रेषण आवेदन की सूचना उसके अधिवक्ता को अग्रिम रूप से क्यों नहीं भेजी गई - प्रतिप्रेषण न्यायाधीश द्वारा प्रतिप्रेषण मंजूर किए जाने के बाद प्रतिप्रेषण आवेदन अपीलार्थी के अधिवक्ता को प्रेषित किया गया, जो कि दिनांक 4.10.2023 के प्रतिप्रेषण आदेश के अनुसार सुबह 6:00 बजे था - प्रतिप्रेषण आदेश में दर्ज किया गया कि प्रतिप्रेषण आवेदन की प्रति अपीलार्थी द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी गई थी - ये पंक्तियाँ बाद में जोड़ी गई बातों का स्पष्ट संकेत देती हैं- प्रतिप्रेषण का आदेश पहले ही सुबह 6 बजे पारित किया जा चुका था और इसलिए, अधिवक्ता को सुनवाई का बाद में दिया गया अवसर, यदि कोई हो, तो व्यर्थ की कवायद के अलावा कुछ नहीं था- गिरफ्तारी के आधारों के बारे में लिखित में संचार करने के कथित प्रयास में प्रतिप्रेषण आवेदन की प्रति अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता को दिनांक 4.10.2023 के प्रतिप्रेषण आदेश पारित करने से पहले उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जिससे उसकी गिरफ्तारी और बाद की प्रतिप्रेषण कार्यवाही त्रुटिपूर्ण सिद्ध हुई - अपीलार्थी की गिरफ्तारी के बाद दिनांक 4.10.2023 का प्रतिप्रेषण आदेश एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अवैध हैं तथा इन्हें अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है- अपीलार्थी,

पंकज बंसल बनाम भारत संघ व अन्य [2023] 12 एससीआर 714 में विनिश्चयाधार लागू करके अभिरक्षा से रिहा होने का हकदार है- [पैरा 30, 33, 34, 36, 39, 50, 51]

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967- धारा 43ख(1) - धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002- धारा 19(1) - भारतीय संविधान - अनुच्छेद 22(1) - अपीलार्थी ने पंकज बंसल बनाम भारत संघ व अन्य [2023] 12 एससीआर 714 में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि उक्त मामले में पीएमएलए की धारा 19(1) जो यूएपीए की धारा 43ख(1) *के समरूप* है, की व्याख्या की गई थी और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि प्रारंभिक गिरफ्तारी कानून के अनुरूप नहीं है, तो केवल लगातार प्रतिप्रेषण आदेश पारित करना इसे वैध बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा:

अभिनिर्धारित: पीएमएलए की धारा 19(1) और यूएपीए की धारा 43ख(1) में प्रयुक्त भाषा में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है - यूएपीए की धारा 43ख(1) में गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने का प्रावधान शब्दशः पीएमएलए की धारा 19(1) के समान है - प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत तर्क कि पीएमएलए की धारा 19 एवं यूएपीए की धारा 43क और 43ख में निहित समग्र प्रावधानों में कुछ भिन्नताएं हैं, इससे यूएपीए की धारा 43ख(1) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की जल्द से जल्द सूचना देने के लिए गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के वैधानिक आदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि गिरफ्तारी के आधारों को बताने की आवश्यकता दोनों परिनियमों में समान है **- दोनों प्रावधानों का स्रोत संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत प्रदत्त संवैधानिक सुरक्षा है -** अतः, व्याख्या के स्वर्णिम नियमों को लागू करते हुए, वे प्रावधान जो पीएमएलए या यूएपीए के तहत अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें समान रूप से

व्याख्यायित एवं लागू किया जाना चाहिए- गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देने के पहलू पर पंकज बंसल मामले में निर्धारित वैधानिक आदेश की व्याख्या, यूएपीए के प्रावधानों के तहत पंजीकृत मामले में गिरफ्तार व्यक्ति पर *समगति से* लागू की जानी चाहिए। [अनुच्छेद 17, 19]

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 – भारत का संविधान – अनुच्छेद 20, 21 और 22 – लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार – उद्देश्य:

अभिनिर्धारित: यूएपीए के प्रावधानों के तहत अपराध करने के आरोप में या किसी अन्य अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए जाने का मौलिक एवं वैधानिक अधिकार है और गिरफ्तारी के ऐसे लिखित आधारों की एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी अपवाद के जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जानी चाहिए - गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी देने का उद्देश्य हितकारी एवं रक्षणीय है, क्योंकि यह जानकारी गिरफ्तार व्यक्ति के लिए अपने अधिवक्ता से परामर्श करने, पुलिस अभिरक्षा प्रतिप्रेषण का विरोध करने और जमानत प्राप्त करने का एकमात्र प्रभावी साधन होगी- कोई भी अन्य व्याख्या अनुच्छेद 22(1) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार की शक्ति को कम करने के समान होगी - जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 20, 21 और 22 के तहत गारंटीकृत सबसे रक्षणीय मौलिक अधिकार है- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 द्वारा प्रदत्त ऐसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाना चाहिए- गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) से प्राप्त होता है एवं इस मौलिक अधिकार का कोई भी उल्लंघन

गिरफ्तारी और प्रतिप्रेषण की प्रक्रिया को निष्फल कर देगा - केवल इस तथ्य से कि मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है, अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय की गई अवैधता, असंवैधानिकता तथा अभियुक्त को प्रारंभिक पुलिस अभिरक्षा प्रतिप्रेषण प्रदान करने को वैध नहीं ठहराया जा सकता है - प्रत्यर्थी की यह दलील खारिज कर दी गई कि अपीलार्थी को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में बताने की विधि के तहत कोई आवश्यकता नहीं है। [पैरा 20-22]

आपराधिक कानून - गिरफ्तारी ज्ञापन - 'गिरफ्तारी के कारण' *बनाम* 'गिरफ्तारी के आधार' - 'गिरफ्तारी के आधार' को 'गिरफ्तारी के कारणों' के समान नहीं समझा जा सकता है:

अभिनिर्धारित: 'गिरफ्तारी के कारण' और 'गिरफ्तारी के आधार' वाक्यांशों में महत्वपूर्ण अंतर है। गिरफ्तारी ज्ञापन में बताए गए 'गिरफ्तारी के कारण' पूरी तरह से औपचारिक मापदंड हैं, अर्थात्, अभियुक्त व्यक्ति को आगे कोई अपराध करने से रोकना; अपराध की उचित जांच करना; अभियुक्त व्यक्ति को अपराध के साक्ष्य को गायब करने या किसी भी तरीके से ऐसे साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने से रोकना; गिरफ्तार व्यक्ति को मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा करने से रोकना ताकि उसे न्यायालय या जांच अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से रोका जा सके। ये कारण सामान्यतः किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे जिसे किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया गया हो, जबकि 'गिरफ्तारी के आधार' में जांच अधिकारी के पास मौजूद ऐसे सभी विवरण शामिल होने चाहिए जिनके कारण अभियुक्त की गिरफ्तारी आवश्यक हो। इसके साथ ही, गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सभी बुनियादी तथ्य बताए जाने चाहिए, जिनके आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, ताकि

उसे अभिरक्षा में प्रतिप्रेषण के विरुद्ध अपना बचाव करने तथा जमानत प्राप्त करने का अवसर मिल सके। इस प्रकार, 'गिरफ्तारी का आधार' हमेशा ही अभियुक्त के लिए व्यक्तिगत होगा और इसे 'गिरफ्तारी के कारणों' के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, जो कि सामान्य प्रकृति के होते हैं। [पैरा 49]

भारत का संविधान - अनुच्छेद 141 - प्रत्यर्थी का अभिवचन यह है कि पंकज बंसल बनाम भारत संघ व अन्य [2023] 12 एससीआर 714 में अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा भरोसा किया गया निर्णय, दिनांक 4.10.2023 को की गई प्रतिप्रेषण की कार्यवाही पर लागू नहीं होगा क्योंकि अपीलार्थी को दिनांक 4.10.2023 को पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया था जबकि पंकज बंसल का निर्णय दिनांक 4.10.2023 को देरी से सर्वोच्च न्यायलय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था एवं इसलिए, गिरफ्तार करने वाले अधिकारी से उसमें दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी और इस प्रकार, अपीलार्थी को लिखित में गिरफ्तारी के आधार प्रस्तुत करने में जाँच अधिकारी की कथित निष्क्रियता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि पंकज बंसल का निर्णय प्रतिप्रेषण आदेश पारित होने के बाद अपलोड किया गया था तथा सार्वजनिक क्षेत्र में लाया गया था:

अभिनिर्धारित: उक्त अभिवचन त्रुटिपूर्ण है - निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी को दिनांक 4.10.2023 को पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया था, जबकि पंकज बंसल के मामले में निर्णय दिनांक 3.10.2023 को दिया गया था - निर्णय को देरी से अपलोड करने के संबंध में केवल एक अनुमान के आधार पर, प्रत्यर्थी को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि पंकज बंसल का विनिश्चयाधार वर्तमान मामले पर लागू नहीं होगा - एक बार जब इस न्यायालय ने संवैधानिक योजना के संदर्भ में कानून के प्रावधानों की व्याख्या कर दी है और यह निर्धारित

कर दिया है कि गिरफ्तारी के आधारों को अभियुक्त को शीघ्रता से लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए, तो उक्त विनिश्चयाधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के आधार पर देश के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी विधि बन जाता है। [पैरा 45]

भारत का संविधान - अनुच्छेद 22(5), 22(1) - प्रत्यर्थी ने अनुच्छेद 22(5) की भाषा का हवाला देते हुए तर्क दिया कि निवारक निरोध के मामले में भी, संवैधानिक योजना में यह आवश्यक नहीं है कि जिन आधारों पर निरोध का आदेश पारित किया गया है, उन्हें बंदी को लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए:

अभिनिर्धारित: उक्त अभिवचन विधि की नजर में प्रथम दृष्टया अस्वीकार्य है - इस न्यायालय का यह लगातार मत रहा है कि जिन आधारों पर किसी नागरिक की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाता है, उन्हें लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए ताकि वह स्वतंत्रता से वंचित होने के विरुद्ध उपचारात्मक उपाय करने में सक्षम हो सके- आधारों के संसूचना के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 22(5) में प्रयुक्त भाषा बिल्कुल एक समान है- किसी भी संवैधानिक प्रावधान में यह आवश्यक नहीं है कि "गिरफ्तारी" या "अभिरक्षा" के 'आधार', यथास्थिति, लिखित रूप में बताए जाएं- इस प्रकार, मौलिक अधिकार के इस महत्वपूर्ण पहलू की व्याख्या, जैसा कि संविधान न्यायपीठ ने हरिकिसन बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य [1962] पूरक 2 एससीआर 918 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) के दायरे की जांच करते समय की थी, वह स्वतः ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) पर लागू होगी, जहां तक गिरफ्तारी के आधार को बताने की आवश्यकता का संबंध है। [पैरा 27-29]

उद्धृत निर्णयज विधि

हरिकिसान बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य [1962] पूरक 2 एससीआर 918 **: 1962 एससीसी ऑनलाइन एससी 117 - का पालन किया।**

पंकज बंसल बनाम भारत संघ व अन्य [2023] 12 एससीआर 714 **: 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1244;** *रॉय वीडी बनाम केरल राज्य* [2000] आपूर्ति 4 एससीआर 539 **: (2000) 8 एससीसी 590;** *लल्लूभाई जोगीभाई पटेल बनाम भारत संघ व अन्य* [1981] 2 एससीआर 352 **: (1981) 2 एससीसी 427 - निर्भरता रखी गयी।**

राम किशोर अरोड़ा बनाम प्रवर्तन निदेशालय [2023] 16 एससीआर 743 **: 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1682 - संदर्भित किया गया।**

अधिनियमों की सूची

विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967; भारत का संविधान; दंड संहिता, 1860

मुख्य शब्दों की सूची

प्रतिप्रेषण आवेदन; प्रतिप्रेषण का आदेश; गिरफ्तारी ज्ञापन; गिरफ्तारी का आधार; निरोध के आधार; लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार को सूचित करना; गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार का सम्प्रेषण; पुलिस अभिरक्षा में प्रतिप्रेषण; अभिरक्षा में प्रतिप्रेषण; गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार; 'गिरफ्तारी के कारण'; 'गिरफ्तारी का आधार'; निवारक निरोध; निरोध का आदेश; अभिरक्षा में लेने के आदेश को लिखित रूप में सूचित किया गया; अभिरक्षा या अवैध निरोध; जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार; मौलिक अधिकार।

से उद्भूत मामलें

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता : आपराधिक अपील सं. 2577/2024

आप.वि.मा. सं. 7278/2023 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के दिनांक 13.10.2023 के निर्णय एवं आदेश से

पक्षकारगण की ओर से उपस्थितियां

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्तागण कपिल सिब्बल, सिद्धार्थ अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, अर्शदीप सिंह खुराना, नितिन सलूजा, हर्ष श्रीवास्तव, हर्षित महलवाल, सिदक सिंह आनंद, मनन खन्ना, निखिल पवार, सुश्री सौजन्या शंकर, सुश्री रूपाली सैमुअल, सुश्री पिंकी दुबे, सुश्री सिमरन खुराना, सुश्री इशिता सोनी, सुश्री प्रण्या मदान, साहिल मोंगिया।

प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्तागण सूर्यप्रकाश वी. राजू, अति.महा.सा., ज़ोहेब हुसैन, मुकेश कुमार मारोरिया, अन्नम वेंकटेश, कानू अग्रवाल, अर्कज कुमार।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

<u>निर्णय</u>

न्या. श्री मेहरा

1. अनुमति प्रदानित।

2. दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 के आदेश को चुनौती देने के लिए अपीलार्थी की ओर से विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई है, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी द्वारा दायर आपराधिक विविध मामला सं. 7278/2023 को खारिज कर दिया था, जिसमें निम्नलिखित निर्देश देने की मांग की गई थी: -

"क. प्राथमिकी सं. 224/2023 दिनांक 17.08.2023 थाना स्पेशल सेल, लोधी रोड, दिल्ली पुलिस के संबंध में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी को अवैध एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत गारंटीकृत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन घोषित करें;

ख. विद्वान् विशिष्ट न्यायाधीश पटियाला हाउस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 04.10.2023 के प्रतिप्रेषण (रिमांड) आदेश को शून्य तथा अमान्य घोषित किया जाए क्योंकि इसे सभी संवैधानिक आदेशों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है, जिसमें प्रतिप्रेषण कार्यवाही के दौरान अपने चयन के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और बचाव करने में विफलता शामिल है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत याचिकाकर्ता के अधिकार की गारंटी का उल्लंघन है।

ग. प्राथमिकी सं. 224/2023 दिनांक 17.08.2023 थाना स्पेशल सेल, लोधी रोड, दिल्ली पुलिस में अभिरक्षा से याचिकाकर्ता को तत्काल रिहा करने का निर्देश दें।"

<u>संक्षिप्त तथ्य</u>:-

3. थाना स्पेशल सेल, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली के अधिकारियों ने अपीलार्थी और कंपनी, अर्थात्, मेसर्स पीपीके न्यूज़क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ("उक्त कंपनी") के आवासीय और कार्यालय परिसरों में व्यापक रूप से छापेमारी की, जिसमें अपीलार्थी थाना स्पेशल सेल में पंजीकृत प्राथमिकी सं. 224/2023 दिनांक 17 अगस्त, 2023 के संबंध में निदेशक हैं, जो विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (संक्षेप में "यूएपीए") की धाराओं 13, 16, 17, 18, 22ग के तहत दंडनीय अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 (एतद्पश्चात् "भा.दं.सं") की धारा 153क, 120ख के साथ पठनीय है। तलाशी और अधिग्रहण की कार्यवाही के दौरान,

अपीलार्थी कंपनी और कंपनी के अन्य कर्मचारियों से संबंधित कई दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस अधिग्रहण किये। अपीलार्थी को उक्त प्राथमिकी के संबंध में दिनांक 3 अक्टूबर, 2023 को थाना स्पेशल सेल, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली में तैयार, गिरफ्तारी ज्ञापन (अनुलग्नक पी-7) के माध्यम से गिरफ्तार किया गया था।

4. यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उक्त गिरफ्तारी ज्ञापन कम्प्यूटरीकृत प्रारूप में है और इसमें अपीलार्थी की 'गिरफ्तारी के आधार' के बारे में कोई कॉलम नहीं है। यही मुद्दा मुख्य रूप से अपील के पक्षकारों के बीच विवाद का विषय है।

5. अपीलार्थी को दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 को प्रातः 6:00 बजे से कुछ समय पहले, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-02, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली (एतद्पश्चात् 'प्रतिप्रेषण न्यायाधीश') की न्यायालय में पेश किया गया, जो तथ्य की अंतर.आ. सं. 217857/2023 के साथ अपील के अभिलेख पर रखे गए प्रतिप्रेषण आदेश (अनुलग्नक पी-1) से प्रकट होता है। अपीलार्थी को दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 के आदेश के तहत सात दिनों की पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया था।

6. प्रतिप्रेषण की कार्यवाही की गम्भीर आलोचना की गई है, क्योंकि अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल ने इसमें हेराफेरी की है, तथा प्रतिप्रेषण आदेश में बाद में की गई प्रविष्टियों पर संदेह व्यक्त किया गया है। अतः, दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 के प्रतिप्रेषण आदेश को चित्रात्मक रूप में पुन: प्रस्तुत करना उचित होगा ताकि इसे इस निर्णय का

भाग बनाया जा सके।

7 ANNEXURE P-1

डॉ. हरदीप कौर
Dr HARDEEP KAUR
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-02
Additional Sessions Judge-02
कमरा नं. 15, प्रथम तल मुख्य भवन
Room No. 15, First Floor, Main Building
पटियाला हाउस कोर्ट,
Patiala House Courts
नई दिल्ली
New Delhi

Present :- Sh. Atul K. Srivastva Ld APP for the State
IO in person
Accused persons present with Remand counsel Sh. Umakant Kataria
Sh. Arshdeep Singh Khurana counsel for accused persons. (Mob. No. 9971140092) through telephone call

An application has been moved by the IO seeking police custody remand of accused Prabir Purkayastha and Amit Chakrabarty for a period of 15 days. Copy of remand application sent through whatsapp to counsel for accused persons.

Heard. Record Perused.

Considering the intricate nature of investigation required in the instant matter, accused Prabir Purkayastha and Amit Chakrabarty are remanded to police custody for a period of 7 days i.e till 10th Oct.

Application is disposed of accordingly.

Accused persons must be medically examine every 48 hours during their police custody remand.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-02
Additional Sessions Judge-02
New Delhi

Hardeep Kaur
ASJ-02, PHC
New Delhi
4th Oct. 2023, Time 6.00 AM
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-02
Additional Sessions Judge-02
नई दिल्ली
New Delhi

7. अपीलार्थी ने अपनी गिरफ्तारी तथा विद्वान प्रतिप्रेषण न्यायाधीश द्वारा दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 के आदेश के तहत दी गई पुलिस अभिरक्षा प्रतिप्रेषण पर तुरंत प्रश्नचिह्न लगाया तथा दिल्ली उच्च न्यायालय में आपराधिक विविध मामला सं. 7278/2023 दर्ज किया, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 के निर्णय के तहत खारिज कर दिया है। उक्त आदेश को इस अपील में विशेष अनुमति द्वारा चुनौती दी जा सकती है।

<u>अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>: -

8. अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल ने अपीलार्थी की गिरफ्तारी और प्रतिप्रेषण की कार्यवाही पर सवाल उठाने के लिए निम्नलिखित प्रस्तुतियां पेश कीं:-

(i) प्राथमिकी सं. 224/2023 (प्राथमिकी जिसके संबंध में अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया था) वस्तुतः उन्हीं तथ्यों पर आधारित दूसरी प्राथमिकी के अलावा कुछ नहीं है क्योंकि इससे पहले, दिनांक 26 अगस्त, 2020 को एक अन्य प्राथमिकी सं. 116/2020 थाना ईओडब्ल्यू, दिल्ली पुलिस ("ईओडब्ल्यू प्राथमिकी") द्वारा दर्ज की गई थी, जिसमें अपीलार्थी और कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों तथा देश के अन्य कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ था। हालाँकि, उक्त प्राथमिकी की एक प्रति अपीलार्थी को प्रदान नहीं की गई थी। ईओडब्ल्यू प्राथमिकी को पूर्ववर्ती अपराधों को प्रकट करने के रूप में मानते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (संक्षेप में "ईडी") ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (संक्षेप में 'पीएमएलए') की धारा 3 व 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में 'ईसीआईआर') दर्ज की। ईडी ने मेसर्स पीपीके न्यूज़क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कार्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर व्यापक तलाशी और अधिग्रहण अभियान चलाया, जिसका अपीलार्थी निदेशक है।

(ii) कंपनी ने रिट याचिका (आप.) सं. 1129/2021 एवं 1130/2021 दायर करके ईसीआईआर का विरोध किया, जिसमें दिनांक 21 जून, 2021 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बलपूर्वक कदम उठाने के खिलाफ अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था। अपीलार्थी को दिनांक 7 जुलाई, 2021 के आदेश के तहत अग्रिम जमानत की

मांग करने वाली एक अर्जी में अंतरिम सुरक्षा भी प्रदान की गई थी।

(iii) प्राथमिकी सं. 224/2023 पूरी तरह से अनुमान और कयासों के आधार पर दर्ज की गई है, जबकि रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। प्राथमिकी की विषय-वस्तु, जो अपीलार्थी को बहुत बाद में उपलब्ध कराई गई, एक विशुद्ध काल्पनिक कहानी है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कोई मौलिक तथ्य या सामग्री नहीं है।

(iv) निस्संदेह, प्राथमिकी सं. 224/2023 की प्रति न तो सार्वजनिक अधिक्षेत्र में उपलब्ध कराई गई तथा न ही अपीलार्थी को उसकी गिरफ्तारी एवं प्रतिप्रेषण तक इसकी प्रति दी गई, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 20, 21 व 22 में निहित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का पूर्ण उल्लंघन है।

(v) श्री सिब्बल ने बताया कि विद्वान प्रतिप्रेषण न्यायाधीश ने दिनांक 5 अक्टूबर, 2023 के आदेश के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसमें उक्त प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति मांगी गई थी, जिसे अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को दिनांक 5 अक्टूबर, 2023 को देर शाम को प्रदान किया गया था, अर्थात् अपीलार्थी को पुलिस अभिरक्षा में भेजे जाने के काफी समय बाद किया गया था।

(vi) अपीलार्थी को गिरफ्तारी के आधार मौखिक या लिखित रूप से नहीं बताए गए थे तथा ऐसी कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) एवं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 50 (एतद्पश्चात् 'दं.प्र.सं.') के तहत संवैधानिक आदेश का घोर उल्लंघन है।

(vii) विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा *पंकज बंसल बनाम भारत संघ एवं अन्य* में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया तथा

तर्क दिया गया कि यदि ऐसी गिरफ्तारी कानून के अनुरूप नहीं थी, तो मात्र आनुक्रमिक प्रतिप्रेषण आदेश पारित करना प्रारंभिक गिरफ्तारी को वैध बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आग्रह किया कि इस न्यायालय ने *पंकज बंसल* (पूर्वोक्त) के मामले में पीएमएलए की धारा 19(1) के प्रावधान की व्याख्या की जो यूएपीए की धारा 43ख(1) में निहित प्रावधानों के *समविशय* में है। इस प्रकार, उक्त निर्णय अपीलार्थी के मामले पर पूर्णतः लागू होता है।

(viii) श्री सिब्बल ने *पंकज बंसल* (पूर्वोक्त) के निर्णय में की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया एवं आग्रह किया कि चूंकि अपीलार्थी को उसकी गिरफ्तारी के समय तथा उसे पुलिस अभिरक्षा में भेजने से पहले गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए थे, अतः अपीलार्थी की निरंतर अभिरक्षा, कानून की नजर में पूरी तरह से अवैध और अमान्य है क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के आदेश के विरुद्ध है।

(ix) श्री सिब्बल ने आगे आग्रह किया कि *राम किशोर अरोड़ा बनाम प्रवर्तन निदेशालय मामले* में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा *पंकज बंसल* (पूर्वोक्त) मामले में दिए गए निर्णय को भावी परिप्रेक्ष्य में लागू मानने का दृष्टिकोण भी अपीलार्थी के अनुतोष मांगने के आड़े नहीं आएगा। उन्होंने बताया कि *पंकज बंसल* (पूर्वोक्त) के मामले में निर्णय दिनांक 3 अक्टूबर, 2023 को सुनाया गया था, जबकि अपीलार्थी का अवैध प्रतिप्रेषण आदेश दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 को पारित किया गया था एवं इसलिए, *पंकज बंसल* (पूर्वोक्त) के मामले में निर्धारित विधि *राम किशोर अरोड़ा* (पूर्वोक्त) में दी गई व्याख्या के बावजूद अपीलार्थी के मामले में पूरी तरह से लागू है।

(x) अपीलार्थी की गिरफ्तारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में निहित प्रावधानों का घोर उल्लंघन है, अतः अपीलार्थी प्रतिप्रेषण आदेश को अभिखंडित करने एवं अभिरक्षा से तत्काल रिहाई के लिए निर्देश मांगने का हकदार है।

(xi) अपीलार्थी को गिरफ्तार करने और प्रतिप्रेषण मांगने में जांच अधिकारी की कार्रवाई न केवल *दुर्भावनापूर्ण* है, बल्कि उच्चतम स्तर की धोखाधड़ी से भी भरी हुई है।

(xii) दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 के प्रतिप्रेषण आदेश का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी को जांच अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी का आधार बताए बिना रात भर बंधक बनाकर रखा गया था। उसे दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 को सुबह-सुबह विद्वान प्रतिप्रेषण न्यायाधीश न्यायालय में अपीलार्थी की ओर से नियुक्त अधिवक्ता श्री अर्शदीप खुराना को सूचित किए बिना पेश किया गया, जो कथित तौर पर जांच अधिकारी के संपर्क में थे क्योंकि वे अपीलार्थी की गिरफ्तारी के बाद थाना लोधी कॉलोनी में कार्यवाही में शामिल हुए थे। अपीलार्थी की पुलिस अभिरक्षा प्रतिप्रेषण गुप्त रूप से प्राप्त करने के लिए, जांच अधिकारी ने अपीलार्थी को विद्वान प्रतिप्रेषण न्यायाधीश के निवास पर सुबह 6:00 बजे से पहले पेश किया, तथा इसके लिए प्रतिप्रेषण अधिवक्ता श्री उमाकांत कटारिया को सूचित किया, जिन्हें अपीलार्थी ने कभी भी अपना पक्ष रखने के लिए नियुक्त नहीं किया था।

(xiii) विद्वान प्रतिप्रेषण न्यायाधीश ने अभियुक्त को ठीक प्रातः 6:00 बजे पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया, जैसा कि प्रतिप्रेषण आदेश (उपर्युक्त) से स्पष्ट है। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अर्शदीप खुराना को सुबह 7:07 बजे व्हाट्सएप संदेश द्वारा प्रतिप्रेषण देने के आदेश के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन यह निरर्थक प्रयास

था क्योंकि इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि विद्वान अधिवक्ता प्रतिप्रेषण के लिए प्रार्थना का विरोध करने के लिए समय पर विद्वान प्रतिप्रेषण न्यायाधीश के निवास पर पहुंच पाते।

(xiv) तथ्य यह है कि प्रतिप्रेषण आवेदन पहले ही सुबह 6 बजे स्वीकार कर लिया गया था, जो तथ्य प्रतिप्रेषण आदेश (पूर्वोक्त) के अंत में संलग्न समय से प्रकट होता है। विद्वान प्रतिप्रेषण न्यायाधीश ने कार्यवाही पर हस्ताक्षर करते हुए समय सुबह 6:00 बजे दर्ज किया। अतः, इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि प्रतिप्रेषण आदेश अपीलार्थी या उसके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को गिरफ्तारी के आधार की प्रति दिए बिना पारित किया गया था। अपीलार्थी को जानबूझकर उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में जानकारी से वंचित रखा गया और इस प्रकार उसे और उसके अधिवक्ता को पुलिस अभिरक्षा प्रतिप्रेषण की प्रार्थना का विरोध करने और जमानत मांगने से रोका गया।

(xv) उसने आगे आग्रह किया कि प्रत्यर्थी द्वारा लिया गया यह रुख कि गिरफ्तारी के आधार अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को विद्वान प्रतिप्रेषण न्यायाधीश द्वारा प्रतिप्रेषण आदेश पारित करने से काफी पहले ही बता दिए गए थे, अभिलेख के आधार पर अस्वीकार्य है क्योंकि प्रतिप्रेषण आदेश पारित करने का समय दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 के आदेश में स्पष्ट रूप से सुबह 6 बजे दर्ज है। यह सच है कि गिरफ्तारी के आधार अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अर्शदीप खुराना को सुबह 7 बजे के बाद बताए गए। यह तर्क दिया गया कि दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 के आदेश में विद्वान प्रतिप्रेषण न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणी कि प्रतिप्रेषण के लिए आवेदन पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया था, प्रतिप्रेषण आदेश से स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली बाद की प्रविष्टि है। इन

पंक्तियों को बाद में जोड़े जाने का तथ्य इस तथ्य से पुष्ट होता है कि जब तक अधिवक्ता को सूचित किया गया तथा गिरफ्तारी के कथित आधारों वाली प्रतिप्रेषण आवेदन की प्रति उन्हें भेजी गई, तब तक अपीलार्थी को पहले ही पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया था।

(xvi) प्राथमिकी सं. 224/2023 में मूल तथ्य ईओडब्ल्यू प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों से लगभग समान हैं। ईओडब्ल्यू प्राथमिकी में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया था। इस संरक्षण के कारण, अपीलार्थी को सलाखों के पीछे डालने में अधिकारियों का दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था तथा इसलिए, पूरी तरह से मनगढ़ंत आरोपों के साथ एक नई प्राथमिकी सं. 224/2023 दर्ज की गई एवं अपीलार्थी को प्राथमिकी की प्रति प्रदान किए बिना और गिरफ्तारी के आधार बताए बिना उसे अवैध रूप से उसकी स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया।

9. इन आधारों पर, श्री सिब्बल ने न्यायालय से अपील स्वीकार करने, आक्षेपित आदेशों को अपास्त करने तथा उपरोक्त प्राथमिकी के संबंध में अपीलार्थी को अभिरक्षा से रिहा करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

<u>प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुतिः -</u>

10. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अति.महा.सा. श्री सूर्यप्रकाश वी. राजू ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों का जोरदार तथा उग्रता से विरोध किया और निम्नलिखित प्रासंगिक प्रस्तुतियां दीं:-

(i) उसने आग्रह किया कि *पंकज बंसल* (पूर्वोक्त) मामले में दिए गए निर्णय को इस न्यायालय द्वारा *राम किशोर अरोड़ा* (पूर्वोक्त) मामले में भी लागू माना गया है।

(ii) अपीलार्थी को दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 को पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया, जबकि *पंकज बंसल* (पूर्वोक्त) के मामले में निर्णय दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 को देरी से इस न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था और इसलिए, गिरफ्तार करने वाले अधिकारी से उक्त निर्णय में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। उसने आग्रह किया कि अपीलार्थी को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में प्रस्तुत करने में जांच अधिकारी की कथित निष्क्रियता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि *पंकज बंसल* (पूर्वोक्त) में निर्णय को प्रतिप्रेषण आदेश पारित होने के बाद अपलोड किया गया था और लोकाधिकारी क्षेत्र में लाया गया था।

(iii) उपरोक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, विद्वान अति.महा.सा. ने आग्रह किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिकाओं में अपीलार्थी के संस्करण के अनुसार, उसे वास्तव में सुबह 7:00 बजे के बाद पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया था। इन दलीलों के संदर्भ में, श्री राजू ने तर्क दिया कि अपीलार्थी को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता कि उसे अवैध तरीके से पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया था और गिरफ्तारी के आधार उसे लिखित रूप में बताए बिना भेजे गए थे।

(iv) विद्वान अति.महा.सा. ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) तथा 22(5) में निहित प्रावधानों का उल्लेख किया और आग्रह किया कि दोनों प्रावधानों में ऐसा कोई आदेश नहीं है कि गिरफ्तारी

या अभिरक्षा के आधार को अभियुक्त या अभिरक्षा में लिए गए व्यक्ति को, यथास्थिति, लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए।

(v) उन्होंने आग्रह किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) द्वारा अपीलार्थी को कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने तथा बचाव कराने के अधिकार का अक्षरशः पालन किया गया था, क्योंकि अपीलार्थी के रिश्तेदार, अर्थात् श्री ऋषभ बेली को विद्वान प्रतिप्रेषण न्यायाधीश के समक्ष अपीलार्थी को पेश करने से पहले सूचित किया गया था। निस्संदेह, श्री ऋषभ बेली ने अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अर्शदीप खुराना को अपीलार्थी की पुलिस अभिरक्षा प्रतिप्रेषण की प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में सूचित किया था।

(vi) उन्होंने आग्रह किया कि अधिवक्ता ने हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह के माध्यम से व्हाट्सएप पर पुलिस अभिरक्षा प्रतिप्रेषण की प्रार्थना के खिलाफ एक लिखित आपत्ति प्रेषित की तथा विद्वान प्रतिप्रेषण न्यायाधीश ने दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 के प्रतिप्रेषण आदेश में प्रतिप्रेषण का विरोध करने वाली उक्त आपत्ति पर ध्यान दिया है और इस प्रकार यह तर्क देना निरर्थक होगा कि प्रतिप्रेषण देने का आदेश किसी भी तरह से अवैध है।

(vii) विद्वान अति.महा.सा. ने आगे तर्क दिया कि अब जांच पूरी हो चुकी है एवं आरोप पत्र भी पहले ही दायर किया जा चुका है तथा, इस प्रकार, अपीलार्थी की गिरफ्तारी व प्रारंभिक पुलिस अभिरक्षा प्रतिप्रेषण प्रदान करने में अवैधता/अनियमितता, यदि कोई हो, समाप्त हो गई है और इसलिए, अपीलार्थी इससे पूर्वाग्रहित होने का दावा नहीं कर सकता है।

(viii) उन्होंने जोरदार ढंग से आग्रह किया कि पीएमएलए की धारा 19 और यूएपीए की धारा 43क एवं 43ख में प्रयुक्त भाषा में महत्वपूर्ण अंतर हैं तथा इस प्रकार, *पंकज बंसल* (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय

द्वारा निर्धारित विधि, प्रतिप्रेषण आदेश को चुनौती देने में अपीलार्थी की सहायता के लिए नहीं आता है।

(ix) विद्वान अति.महा.सा. ने आगे आग्रह किया कि न्यायिक कार्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों की शुद्धता के बारे में धारणा है तथा इसलिए, दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 के प्रतिप्रेषण आदेश में दर्ज की गई टिप्पणी कि अपीलार्थी के अधिवक्ता को प्रतिप्रेषण आवेदन पर सुना गया था एवं अपीलार्थी को गिरफ्तारी के आधार से अवगत कराया गया था, पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है या संदेह नहीं किया जा सकता है। उन्होंने न्यायालय से अपील खारिज करने और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने का अनुरोध किया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रत्युत्तर: -

11. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि विद्वान अति.महा.सा. द्वारा दिया गया तर्क कि पीएमएलए की धारा 19 और यूएपीए की धारा 43क और 43ख में निहित प्रावधान अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, जोकि त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने आग्रह किया कि दोनों प्रावधानों की भाषा *समविशय में* है और इसलिए ***पंकज बंसल*** (पूर्वोक्त) में निर्धारित विधि इस विवाद को पूरी तरह से आच्छादित करता है।

12. श्री सिब्बल ने इस बात पर जोर दिया कि दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 के आदेश को देखने पर यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रतिप्रेषण आवेदन की प्रति भेजने और अधिवक्ता को टेलीफोन कॉल के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करने संबंधी पंक्तियों को बाद में आदेश में शामिल किया गया है। उन्होंने आग्रह किया कि विद्वान अति.महा.सा. श्री राजू द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि न्यायिक कार्यवाही की शुद्धता के संबंध में पूर्वधारणा है, को मामले के विशिष्ट तथ्यों के आधार

पर सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 के प्रतिप्रेषण आदेश पर समान सिद्धांत को लागू करना, विद्वान अति.महा.सा द्वारा लिए गए रुख के प्रतिकूल है, क्योंकि आदेश में पारित होने का समय सुबह 6:00 बजे दर्ज किया गया है, जबकि अधिवक्ता को स्वाभाविक रूप से सुबह 7:00 बजे के बाद सूचित किया गया था। इस प्रकार, प्रतिप्रेषण आवेदन को अधिवक्ता के पास भेजे जाने या प्रतिप्रेषण आदेश पारित करने से पहले उनकी बात सुने जाने की कोई संभावना नहीं थी। इस प्रकार, उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दोहराईं और अपील स्वीकार करने की मांग की थी।

चर्चा एवं निष्कर्ष:-

13. हमने बार में प्रस्तुत किए गए सुझावों पर गहन विचार किया है तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अध्ययन किया है।

14. चूंकि, विद्वान अति.महा.सा. ने ***पंकज बंसल*** (पूर्वोक्त) के निर्णय के आवेदन के संबंध में एक जोरदार तर्क दिया है, जिसमें आग्रह किया गया है कि पीएमएलए की धारा 19 और यूएपीए की धारा 43क और 43ख में निहित प्रावधानों के बीच एक अंतर्निहित अंतर है, अतः हमारे लिए सबसे पहले उक्त प्रस्तुतिकरण को संबोधित करना उचित होगा।

15. ***पंकज बंसल*** (पूर्वोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने पीएमएलए, दं.प्र.सं. में निहित प्रावधानों एवं अनुच्छेद 22 के तहत प्रदत्त संवैधानिक आदेश पर विस्तृत विचार करने के पश्चात् निम्नानुसार निर्णय दिया: -

> **"32. इस संबंध में, हम यह ध्यान दे सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को, यथाशीघ्र, ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना दिए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। चूंकि यह गिरफ्तार व्यक्ति को दिया गया मौलिक अधिकार है, अतः गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देने का तरीका आवश्यक रूप से सार्थक होना चाहिए ताकि**

इच्छित उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यह ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 2002 के अधिनियम की धारा 45, धारा 19 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर रिहाई की मांग करने में सक्षम बनाती है, लेकिन इसमें यह प्रावधान है कि जब तक इसके अंतर्गत निर्धारित दो शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तब तक ऐसा व्यक्ति जमानत पाने का हकदार नहीं होगा। प्रावधान में निर्धारित दो शर्तें हैं - पहली, न्यायालय को सरकारी अभियोजक को रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर देने के बाद संतुष्ट होना चाहिए कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति अपराध का दोषी नहीं है, और दूसरी बात, कि जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, गिरफ्तार व्यक्ति के लिए यह जानना आवश्यक होगा कि प्राधिकृत अधिकारी ने उसे धारा 19 के अंतर्गत किस आधार पर गिरफ्तार किया है तथा अधिकारी के 'विश्वास करने के कारण' का आधार क्या है कि वह 2002 के अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को इन तथ्यों का ज्ञान है, तभी वह विशेष न्यायालय के समक्ष यह दलील देने और साबित करने की स्थिति में होगा कि यह मानने के आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है, ताकि उसे जमानत की राहत मिल सके। **अतः, संविधान के अनुच्छेद 22(1) तथा 2002 के अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी के आधारों का संचार इस उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए है और इसे उचित महत्व दिया जाना चाहिए।**

36. ऐसी स्थिति में, इस बात का कोई वैध कारण नहीं है कि गिरफ्तारी के ऐसे लिखित आधारों की एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से और बिना किसी अपवाद के क्यों न दी जाए। इसके दो मुख्य कारण हैं कि सिद्धांत रूप में इस कार्यवाही को क्यों अपनाया जाना उचित होगा। सबसे पहले, यदि गिरफ्तारी के ऐसे

आधारों को गिरफ्तार व्यक्ति को मौखिक रूप से पढ़कर सुनाया जाता है या उस व्यक्ति द्वारा बिना किसी अतिरिक्त अपवाद के पढ़ा जाता है तथा किसी मामले में इस तथ्य पर विवाद होता है, तो यह गिरफ्तार व्यक्ति के कथन और प्राधिकृत अधिकारी के कथन के बीच का मामला बन सकता है कि इस संबंध में उचित अनुपालन हुआ है या नहीं। इस मामले में, बसंत बंसल के मामले में यही स्थिति है। हालांकि ईडी का दावा है कि साक्षी मौजूद थे तथा उन्होंने प्रमाणित किया कि गिरफ्तारी के आधार उन्हें हिंदी में पढ़कर सुनाए गए और समझाए गए, लेकिन यह प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इस संबंध में गैर-अनुपालन से गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, जैसा कि *वी. सेंथिल बालाजी* (पूर्वोक्त) में कहा गया है। ऐसी अनिश्चित स्थिति को आसानी से टाला जा सकता है और इसके परिणामों को बहुत आसानी से रोका जा सकता है, यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम 2002 की धारा 19(1) के अनुसार गिरफ्तारी के लिखित आधारों को गिरफ्तार व्यक्ति को उचित पावती के तहत प्रस्तुत किया जाए, बजाय इसके कि इसे प्राधिकृत अधिकारी की विवादास्पद स्वयं की इच्छा पर छोड़ दिया जाए।

37. **दूसरा कारण कि ऐसा करना उचित होगा, यह है कि गिरफ्तार व्यक्ति को ऐसी जानकारी देने के पीछे संवैधानिक उद्देश्य निहित है। इस सूचना को पहुंचाने का उद्देश्य न केवल गिरफ्तार व्यक्ति को यह बताना है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, बल्कि ऐसे व्यक्ति को विधिक सलाह लेने में सक्षम बनाना है, तथा उसके बाद, यदि वह चाहे तो धारा 45 के तहत न्यायालय के समक्ष जमानत पर रिहाई के लिए मामला प्रस्तुत करना है।** इस संबंध में, *वी. सेंथिल बालाजी* (पूर्वोक्त) में गिरफ्तारी के आधार अभिलेख पर

रखे गए हैं और हम पाते हैं कि यह छह पृष्ठों में है। पंकज बंसल और बसंत बंसल के संबंध में मामले में दर्ज गिरफ्तारी के आधार इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, लेकिन यह तर्क दिया गया कि उन्हें प्रतिप्रेषण के समय प्रस्तुत किया गया था। हालाँकि, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, इससे इच्छित उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा, यदि उनकी गिरफ्तारी के आधार समान रूप से विस्तृत हों, तो पंकज बंसल या बसंत बंसल के लिए भविष्य में विधिक उपचार प्राप्त करने के लिए जो कुछ उन्होंने पढ़ा या सुना था, उसे रिकॉर्ड करना और याद रखना लगभग असंभव होगा। अन्यथा, यदि कोई व्यक्ति अभी-अभी गिरफ्तार हुआ है तो वह शांत एवं संयमित मनोदशा में नहीं होगा तथा गिरफ्तारी के कारणों को याद रखने में पूरी तरह से असमर्थ हो सकता है, जो उसे पढ़वाया गया हो या उसे पढ़कर सुनाया गया हो। **संबंधित प्राधिकारियों को केवल गिरफ्तारी के आधार को पढ़वाने या पढ़ने की अनुमति देने की अनुमति देकर इस संवैधानिक तथा वैधानिक संरक्षण का उद्देश्य निरर्थक हो जाएगा, चाहे उनकी लंबाई एवं विस्तार कुछ भी हो, और अनुच्छेद 22(1) के तहत संवैधानिक आवश्यकता व वर्ष 2002 के अधिनियम की धारा 19(1) के तहत वैधानिक आदेश के साथ उचित अनुपालन का दावा किया जाता है।**

38. हम यह भी ध्यान रख सकते हैं कि अधिनियम की धारा 19(1)/2002 के अनुसार, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दर्ज गिरफ्तारी के आधार, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत होंगे और आमतौर पर, संवेदनशील सामग्री के प्रकट होने का कोई जोखिम नहीं होना चाहिए, जिससे जांच की शुद्धता एवं अखंडता से समझौता हो। यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए गिरफ्तारी के आधारों में ऐसी किसी संवेदनशील सामग्री का उल्लेख

मिलता है, तो वह दस्तावेज में ऐसे संवेदनशील हिस्से को संपादित करने के लिए स्वतंत्र रहेगा और गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की संपादित प्रति उपलब्ध करा दे, ताकि जांच की शुद्धता सुरक्षित रहे।

39. **उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी देने के लिए अधिनियम 2002 की धारा 19(1) के संवैधानिक तथा वैधानिक आदेश को सही अर्थ एवं उद्देश्य देने के लिए, हम मानते हैं कि अब से यह आवश्यक होगा कि गिरफ्तारी के ऐसे लिखित आधारों की एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से और बिना किसी अपवाद के प्रदान की जाए।** दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा *मोइन अख्तर कुरैशी* (पूर्वोक्त) तथा बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा *छगन चंद्रकांत भुजबल* (पूर्वोक्त) मामले में दिए गए निर्णय, जो इसके विपरीत हैं, सही विधि नहीं बताते हैं। **वर्तमान मामले में, स्वीकार्य स्थिति यह है कि ईडी के जांच अधिकारी ने केवल अपीलार्थीगण की गिरफ्तारी के आधार को पढ़ा या पढ़ने की अनुमति दी और इसे वहीं छोड़ दिया, जिस पर अपीलार्थीगण ने भी विवाद किया है। चूंकि संचार का यह तरीका संविधान के अनुच्छेद 22(1) एवं 2002 के अधिनियम की धारा 19(1) के आदेश के अनुपालन के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया है, अतः हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी अधिनियम की धारा 19(1)/2002 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी।** इसके अतिरिक्त, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, अपीलार्थीगण के खिलाफ कार्यवाही में ईडी का गुप्त आचरण, पहली ईसीआईआर के संबंध में अंतरिम संरक्षण प्राप्त करने के तुरंत बाद दूसरी ईसीआईआर दर्ज करना, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह शक्ति के मनमाने प्रयोग की अनुभूति देती है। वास्तव में, अपीलार्थीगण की गिरफ्तारी एवं परिणामस्वरूप, उन्हें ईडी की अभिरक्षा में और

उसके बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेजना बरकरार नहीं रखा जा सकता है।”

(जोर दिया गया)

16. पीएमएलए की धारा 19 एवं यूएपीए की धारा 43क, 43ख और 43ग को त्वरित संदर्भ हेतु निम्न पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

पीएमएलए की धारा 19

19. गिरफ्तार करने की शक्ति (1) यदि निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के पास उसके कब्जे में की सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास के लिए कारण लेखबद्ध किए जाएंगे) कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषी है तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा और यथासंभव शीघ्र, उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देगा।

(2) निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक या कोई अन्य अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन ऐसे व्यक्ति के गिरफ्तार किए जाने के ठीक पश्चात् आदेश की एक प्रति, उस उपधारा में निर्दिष्ट उसके कब्जे में की सामग्री के साथ ऐसी रीति से जो विहित की जाए, सीलबंद लिफाफे में ऐसे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी अग्रेषित करेगा और ऐसा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के ऐसे आदेश और सामग्री को ऐसी अवधि तक रखेगा जो विहित की जाए।

(3) उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किया गया प्रत्येक व्यक्ति, चौबीस घंटे के भीतर, यथास्थिति, अधिकारिता रखने वाले किसी

न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा:

परन्तु चौबीस घंटे की अवधि से वह समय अपवर्जित किया जाएगा जो गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक है।

<u>यूएपीए की धाराएं 43क, 43ख और 43ग</u>

"43क. गिरफ्तार करने, तलाशी लेने, आदि की शक्ति - अभिहित प्राधिकरण का ऐसा कोई अधिकारी, जो, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया है, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को कारित करने की योजना के संबंध में जानकारी रखता है या जिसके पास व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखित में ली गई ऐसी सूचना पर यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध किया है या कोई दस्तावेज, वस्तु या ऐसी अन्य चीज जो ऐसे अपराध के किए जाने का साक्ष्य दे सकेगी, या कोई अवैध रूप से अर्जित संपत्ति या ऐसे दस्तावेज या अन्य वस्तु, जो किसी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के धारण का साक्ष्य दे सकेगी, जो इस अध्याय के अधीन अभिग्रहण किए जाने या रोक लगाए जाने या समपहरण किए जाने के लिए दायी है, किसी भवन, वाहन या स्थान में रखी गई है या छिपाई गई है, तो वह अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को ऐसे किसी व्यक्ति को, चाहे दिन में या रात में, गिरफ्तार करने या ऐसे किसी भवन, वाहन या स्थान की तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा या स्वयं ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर

सकेगा या ऐसे किसी भवन, वाहन या स्थान की तलाशी ले सकेगा।

43ख. गिरफ्तारी, अभिग्रहण, आदि की प्रक्रिया (1) धारा 43क के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला कोई अधिकारी, यथासंभवशीघ्र उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देगा।

(2) धारा 43क के अधीन गिरफ्तार प्रत्येक व्यक्ति और अभिगृहीत वस्तु को बिना किसी अनावश्यक विलंब के निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा।

(3) ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी, जिसे उपधारा (2) के अधीन कोई व्यक्ति या वस्तु अग्रेषित की गई है, सब सुविधापूर्ण शीघ्रता से ऐसे उपाय करेगा जो संहिता के उपबंधों के अनुसार आवश्यक हों।

43ग. संहिता के उपबंधों का लागू होना- संहिता के उपबंध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन की गई सभी गिरफ्तारियों, तलाशियों और अभिग्रहणों को लागू होंगे।"

17. वैधानिक प्रावधानों (पुनः प्रस्तुत पूर्वोक्त) के सावधानीपूर्वक अध्ययन के बाद, हम पाते हैं कि पीएमएलए की धारा 19(1) एवं यूएपीए की धारा 43ख(1) में प्रयुक्त भाषा में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, जो हमें यह दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित कर सके कि *पंकज बंसल* (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा 'ऐसी गिरफ्तारी के आधारों के बारे में उसे सूचित करें' वाक्यांश की, की गई व्याख्या यूएपीए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार अभियुक्त पर लागू नहीं होनी चाहिए।

18. हम पाते हैं कि यूएपीए की धारा 43ख(1) में गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने का प्रावधान पीएमएलए की धारा 19(1) के समान ही है। विद्वान अति.महा.सा. द्वारा प्रस्तुत तर्क यह है कि पीएमएलए की धारा 19 एवं यूएपीए की धारा 43क और 43ख में निहित समग्र प्रावधानों में कुछ भिन्नताएं हैं, इससे यूएपीए की धारा 43ख(1) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की जल्द से जल्द सूचना देने के लिए गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की वैधानिक आदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि जैसा कि ऊपर कहा गया है, गिरफ्तारी के आधारों को बताने की आवश्यकता दोनों परिनियमों में समान है। वास्तव में, दोनों प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत प्रदत्त संवैधानिक सुरक्षा में अपना स्रोत पाते हैं। अतः, व्याख्या के सुनहरे नियमों को लागू करते हुए, वे प्रावधान जो पीएमएलए या यूएपीए के तहत अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, को समान रूप से समझा और लागू किया जाना चाहिए।

19. हमने पाया कि दं.प्र.सं. की धारा 167 का संशोधित अनुप्रयोग भी दोनों परिनियमों के लिए समान है। इस प्रकार, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देने के पहलू पर *पंकज बंसल* (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित वैधानिक आदेश की व्याख्या यूएपीए के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार व्यक्ति पर समान रूप से लागू होनी चाहिए।

20. परिणामस्वरूप, न्यायालय के चित्त में कोई संदेह नहीं है कि यूएपीए के प्रावधानों के तहत अपराध करने के आरोप में या किसी अन्य अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए जाने का मौलिक एवं वैधानिक अधिकार है

तथा गिरफ्तारी के ऐसे लिखित आधारों की एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से और बिना किसी अपवाद के जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जानी चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी देने का उद्देश्य लाभदायक एवं रक्षणीय है, क्योंकि यह जानकारी गिरफ्तार व्यक्ति के लिए अपने अधिवक्ता से परामर्श करने, पुलिस अभिरक्षा प्रतिप्रेषण का विरोध करने और जमानत प्राप्त करने का एकमात्र प्रभावी साधन होगी। कोई भी अन्य व्याख्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार की आवश्यक्ताओं को कम करने के समान होगी।

21. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 के तहत गारंटीकृत सबसे पवित्र मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार पर अतिक्रमण करने के किसी भी प्रयास को इस न्यायालय ने अनेक निर्णयों में अस्वीकार किया है। इस संबंध में, हम *रॉय वी.डी बनाम केरल राज्य* के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का संदर्भ दे सकते हैं:-

> "**7.** किसी व्यक्ति का जीवन और स्वतंत्रता इतनी पवित्र है कि विधि के अधिकार के बिना इसमें हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे सभी सभ्य देशों में मान्यता दी गई है और लागू किया गया है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 न केवल भारत के नागरिकों को बल्कि विदेशियों को भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है।"

इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 द्वारा गारंटीकृत ऐसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

22. गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) से प्राप्त होता है तथा इस मौलिक अधिकार

का कोई भी उल्लंघन गिरफ्तारी और प्रतिप्रेषण की प्रक्रिया को भंग कर देगा। केवल इस तथ्य से कि मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है, अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय की गई अवैधता एवं असंवैधानिकता तथा अभियुक्त को प्रारंभिक पुलिस अभिरक्षा प्रतिप्रेषण प्रदान करने को वैध नहीं ठहराया जा सकता है।

23. विद्वान अति.महा.सा. ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) की भाषा का संदर्भ दिया और आग्रह किया कि निवारक निरोध के मामले में भी, संवैधानिक योजना में यह आवश्यक नहीं है कि जिन आधारों पर निरोध का आदेश पारित किया गया है, उन्हें बंदी को लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए। प्रथम दृष्टया, हम उक्त प्रस्तुति से प्रभावित नहीं हैं।

24. भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) की भाषा के आधार पर विद्वान अति.महा.सा. द्वारा प्रस्तुत तर्क ने हमें इस मुद्दे पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित किया कि क्या अभियुक्त या अभिरक्षा में लिए गए व्यक्ति को, यथास्थिति, गिरफ्तारी या अभिरक्षा के आधारों को लिखित रूप में सूचित करना अनिवार्य है, भले ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) एवं 22(5) के तहत संवैधानिक आदेश स्पष्ट रूप से यह आवश्यक नहीं करता है कि आधारों को लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए।

25. इस न्यायालय की एक संविधान न्यायपीठ ने *हरिकिसन बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य* के मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) की योजना की विस्तार से जांच की एवं अभिनिर्धारित किया कि अभिरक्षा में लिए गए व्यक्ति को लिखित रूप में तथा ऐसी भाषा में जिसे वह समझता हो, अभिरक्षा के आधारों के बारे में सूचित करना अभिरक्षा में लिए गए व्यक्ति को अभिरक्षा के खिलाफ प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करने के लिए अनिवार्य एवं आवश्यक है और यदि ऐसा सूचित नहीं किया जाता है, तो अभिरक्षा का आदेश निष्प्रभावी हो जाएगा

क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 22(5) के तहत गारंटी का उल्लंघन किया गया था। प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे उद्धृत है:

> " **7.** अनुच्छेद 22 के खंड (5) में यह अपेक्षा की गई है कि बंदी को उसके निरोध के आधार यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जाने चाहिए तथा आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का शीघ्रातिशीघ्र अवसर भी प्रदान किया जाना चाहिए। **बंदी को वह अवसर मिले, इसके लिए यह पर्याप्त नहीं है कि उसे भौतिक रूप से ज्ञान के साधन उपलब्ध करा दिए गए हों, जिनसे वह अपना प्रतिनिधित्व कर सके। बंदी आदेश के विरुद्ध अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रख सके, अतः उसे बंदी बनाए जाने के आधारों का ज्ञान होना चाहिए, जो उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप की प्रकृति के अनुरूप हों तथा उन प्रकार के पूर्वाग्रहपूर्ण कृत्यों का उल्लेख करें जिनका आरोप प्राधिकारियों ने उसके विरुद्ध लगाया है। इस संदर्भ में, संसूचना का अर्थ, बंदी को उन सभी आधारों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करना होना चाहिए जिन पर नजरबंदी का आदेश आधारित है। इस मामले में कई आधार हैं, और वे अनेक भाषणों पर आधारित हैं, जो अपीलार्थी द्वारा स्वयं विभिन्न अवसरों एवं विभिन्न तिथियों पर दिए गए थे। अतः, स्वाभाविक रूप से, अभिरक्षा में लिए गए व्यक्ति की पेशी करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी मौखिक अनुवाद या स्पष्टीकरण संसूचना नहीं मानी जाएगी, इस संदर्भ में, इसका अर्थ अभिरक्षा में लिए गए व्यक्ति को उन तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में प्रभावी ज्ञान देना होगा जिन पर अभिरक्षा का आदेश आधारित है।**
>
> (जोर दिया गया)

26. इसके अलावा, इस न्यायालय ने *लल्लूभाई जोगीभाई पटेल बनाम भारत संघ व अन्य* के मामले में यह निर्धारित किया कि अभिरक्षा के आधारों को

अभिरक्षा में लिए गए व्यक्ति को लिखित रूप में उस भाषा में बताया जाना चाहिए जिसे वह समझता हो और यदि आधारों को केवल मौखिक रूप से समझाया जाता है, तो अनुच्छेद 22(5) के संवैधानिक आदेश का उल्लंघन होता है। संबंधित पैरा नीचे उद्धृत है: -

> **"20.** ....“संसूचना” एक सशक्त शब्द है। इसका अर्थ है कि “आधार” बनाने वाले बुनियादी तथ्यों का पर्याप्त ज्ञान बंदी को प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से लिखित रूप में उस भाषा में दिया जाना चाहिए जिसे वह समझता हो। बंदी को “आधार” बताने का पूरा उद्देश्य उसे उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाना है। **यदि “आधार” केवल मौखिक रूप से बंदी को समझाए जाते हैं एवं उसके पास लिखित में उस भाषा में जिसे वह समझता है कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है, तो वह उद्देश्य पूरा नहीं होता है, और अनुच्छेद 22(5) में संवैधानिक आदेश का उल्लंघन होता है...।”**
>
> (जोर दिया गया)

27. *हरिकिसन* **(पूर्वोक्त)** में इस न्यायालय के संविधान न्यायपीठ के निर्णय सहित निवारक निरोध के कानून से संबंधित विभिन्न निर्णयों के समग्र अध्ययन से, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) के प्रावधानों की व्याख्या की गई है, हम पाते हैं कि यह इस न्यायालय का लगातार दृष्टिकोण रहा है कि जिन आधारों पर किसी नागरिक की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाता है, उन्हें लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए ताकि वह स्वतंत्रता के अभाव के खिलाफ उपचारात्मक उपाय करने में सक्षम हो सके।

28. इस प्रकार, इस न्यायालय के चित्त में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि विद्वान अति.महा.सा. का यह तर्क कि निवारक निरोध के मामले में, निरोध के आधार को लिखित रूप में किसी बंदी को प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, कानून की दृष्टि में स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है।

29. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 22(5) में आधारों के संसूचना के संबंध में प्रयोग की गई भाषा बिल्कुल एक जैसी है। किसी भी संवैधानिक प्रावधान में यह आवश्यक नहीं है कि "गिरफ्तारी" या "अभिरक्षा" के 'आधार', जैसा भी मामला हो, लिखित रूप में बताए जाएं। इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) के दायरे की जांच करते समय संविधान न्यायपीठ द्वारा मौलिक अधिकार के इस महत्वपूर्ण पहलू की व्याख्या, जहां तक गिरफ्तारी के आधार को बताने की आवश्यकता का संबंध है, स्वतः ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) पर लागू होगी।

30. अतः, हमें यह दोहराने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या निवारक अभिरक्षा में रखे गए व्यक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) एवं 22(5) के तहत गिरफ्तारी के आधार या अभिरक्षा के आधार को लिखित रूप में बताने की आवश्यकता रक्षणीय है और किसी भी स्थिति में इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इस संवैधानिक आवश्यकता एवं वैधानिक आदेश का पालन न करने पर अभिरक्षा या नजरबंदी को अवैध माना जाएगा, जैसा भी मामला हो।

31. इसके अलावा, अनुच्छेद 22(1) के प्रावधानों की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा *पंकज बंसल* (पूर्वोक्त) में पहले ही की जा चुकी है, जिसमें संदेह की सीमा से परे यह निर्धारित किया गया है कि गिरफ्तारी के आधार को किसी अपराध के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को जल्द से जल्द लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए। अतः, विद्वान अति.महा.सा. की यह पुरजोर प्रस्तुति दी कि अभियुक्त अपीलार्थी को गिरफ्तारी के आधारों के बारे में लिखित रूप में सूचित करने की कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है, अस्वीकार की जाती है।

32. अब मामले के तथ्यों पर आते हैं। निस्संदेह, प्राथमिकी सं. 224/2023 दिनांक 17 अगस्त, 2023 को दर्ज की गई। प्राथमिकी की प्रति कभी भी

सार्वजनिक नहीं की गई क्योंकि जांच एजेंसी ने इसे वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया था। यह सच है कि अपीलार्थी की ओर से इस संबंध में आवेदन किए जाने के बावजूद, विद्वान प्रतिप्रेषण न्यायाधीश द्वारा पुलिस अभिरक्षा प्रतिप्रेषण का आदेश पारित किए जाने तक उसे प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई।

33. प्राथमिकी की प्रति पहली बार दिनांक 5 अक्टूबर, 2023 को अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री अर्शदीप खुराना को प्रदान की गई थी और इसलिए, स्वतंत्रता से वंचित होने के समय तक, अपीलार्थी को उन आधारों के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया गया था जिन पर उसे गिरफ्तार किया गया था।

34. गिरफ्तारी ज्ञापन (अनुलग्नक पी-7) के अनुसार अभियुक्त को दिनांक 3 अक्टूबर, 2023 को शाम 5:45 बजे गिरफ्तार किया गया। यूएपीए की धारा 43ग के अनुसार, दं.प्र.सं. के प्रावधान यूएपीए के तहत की गई सभी गिरफ्तारियों, तलाशी और जब्ती पर लागू होंगे, जब तक कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न हों। दं.प्र.सं. की धारा 57 एवं धारा 167(1) के अनुसार अपीलार्थी को गिरफ्तारी के चौबीस घंटे के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है। अतः, जांच अधिकारी के पास अपीलार्थी को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने और यदि आवश्यक हो तो उसकी पुलिस अभिरक्षा प्रतिप्रेषण मांगने के लिए दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 को शाम 5:44 बजे तक का समय था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी की ओर से नियुक्त विद्वान अधिवक्ता श्री अर्शदीप खुराना अपीलार्थी की गिरफ्तारी के बाद दिनांक 3 अक्टूबर, 2023 को थाने में उपस्थित हुए थे और अधिवक्ता का मोबाइल नंबर जांच अधिकारी के पास उपलब्ध था। इसके बावजूद, अपीलार्थी को दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 को प्रातः 6:00 बजे से पहले किसी समय उसके निवास पर विद्वान प्रतिप्रेषण न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। श्री उमाकांत

कटारिया नामक प्रतिप्रेषण अधिवक्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत अपेक्षित अपीलार्थी को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए न्यायालय में उपस्थित रखा गया था। स्पष्ट रूप से, यह पूरी प्रक्रिया गुप्त तरीके से की गई थी और यह कानून की उचित प्रक्रिया को दरकिनार करने का एक स्पष्ट प्रयास था; अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने के आधारों की जानकारी दिए बिना उसे पुलिस अभिरक्षा में रखने का; अभियुक्त को अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी की सेवाओं का लाभ उठाने के अवसर से वंचित करना ताकि पुलिस अभिरक्षा प्रतिप्रेषण के लिए प्रार्थना का विरोध किया जा सके, जमानत मांगी जा सके और न्यायालय को गुमराह किया जा सके। अभियुक्त ने स्वयं के बचाव के लिए एक अधिवक्ता को नियुक्त किया था, इस बात का कोई कारण या तर्क नहीं था कि प्रस्तावित प्रतिप्रेषण आवेदन के बारे में अपीलार्थी द्‌वारा नियुक्त अधिवक्ता को अग्रिम सूचना क्यों नहीं भेजी गई।

35. यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने विद्‌वान प्रतिप्रेषण न्यायाधीश के समक्ष प्रतिप्रेषण अधिवक्ता की उपस्थिति पर आपत्ति जताई थी और यही कारण है कि जांच अधिकारी ने मोबाइल पर अपीलार्थी द्‌वारा नियुक्त अधिवक्ता को सूचित करने का नाटक किया। विद्‌वान प्रतिप्रेषण न्यायाधीश ने श्री अर्शदीप खुराना, अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज की तथा उल्लेख किया कि उन्हें टेलीफोन कॉल के माध्यम से प्रतिप्रेषण आवेदन के बारे में सूचित किया गया था तथा उनकी बात सुनी गई थी। अभियुक्त अपीलार्थी को विद्‌वान प्रतिप्रेषण न्यायाधीश के समक्ष पेश किए जाने की प्रारंभिक सूचना गिरफ्तारी अधिकारी द्‌वारा अपीलार्थी के रिश्तेदार श्री ऋषभ बेली को सुबह लगभग 6:46 बजे भेजी गई और उन्होंने, बदले में, अधिवक्ता श्री अर्शदीप खुराना को सुबह लगभग 7:00 बजे सूचित किया। ये तथ्य न्यायालय के अवलोकन के लिए प्रस्तुत कॉल लॉग के अवलोकन से स्पष्ट होते हैं। इस प्रकार, जब तक अभियुक्त अपीलार्थी द्‌वारा नियुक्त अधिवक्ता को सूचित

किया गया, तब तक प्रतिप्रेषण का आदेश पारित हो चुका था। निस्संदेह, उस समय तक अपीलार्थी को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में नहीं बताए गए थे।

36. विद्वान अति.महा.सा. ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी के आधार प्रतिप्रेषण आवेदन में निर्धारित किए गए थे, जिसे व्हाट्सएप के माध्यम से अधिवक्ता श्री अर्शदीप खुराना को प्रेषित किया गया था। हालांकि, तथ्य यह है कि प्रतिप्रेषण आवेदन अधिवक्ता श्री अर्शदीप खुराना को विद्वान प्रतिप्रेषण न्यायाधीश द्वारा प्रतिप्रेषण दिए जाने के बाद भेजा गया था, जो कि प्रतिप्रेषण आदेश (पूर्वोक्त प्रस्तुत) में की गई रिकॉर्डिंग के अनुसार सुबह 6:00 बजे था। विद्वान अति.महा.सा. का यह तर्क कि दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अभियुक्त अपीलार्थी की ओर से की गई दलीलों के अनुसार प्रतिप्रेषण आदेश पारित करने के समय में भिन्नता है, प्रतिप्रेषण आदेश में दर्ज समय के मद्देनजर हमें प्रभावित नहीं करता है।

37. दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश के पैरा सं. 31 में कहा कि प्रत्यर्थी ने स्पष्ट रुख अपनाया है कि अपीलार्थी को गिरफ्तारी के आधार मौखिक रूप से बता दिए गए थे तथा गिरफ्तारी ज्ञापन में दिए गए विवरण के अनुसार उन्हें लिखित रूप में भी अवगत करा दिया गया था। हालाँकि, विद्वान अति.महा.सा. ने गिरफ्तारी ज्ञापन के आधार पर निष्पक्ष रूप से ऐसी कोई दलील नहीं दी थी।

38. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दी गई यह व्याख्या कि गिरफ्तारी के आधार अभियुक्त को गिरफ्तारी ज्ञापन के माध्यम से लिखित रूप में बता दिए गए थे, अभिलेख के आधार पर अस्वीकार्य है, क्योंकि गिरफ्तारी ज्ञापन में उक्त दस्तावेज में गिरफ्तारी के आधार को शामिल किए जाने का संकेत नहीं है। गिरफ्तारी ज्ञापन (अनुलग्नक पी-7) के कॉलम क्रमांक 9, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है, में केवल 'गिरफ्तारी के कारण' बताए गए हैं, जो औपचारिक प्रकृति के हैं एवं आमतौर पर किसी

भी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं, जबकि 'गिरफ्तारी के आधार' व्यक्तिगत प्रकृति के होंगे तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के लिए विशिष्ट होंगे।

"**<u>9. गिरफ्तारी की कारण</u>**

क. अभियुक्त व्यक्ति को आगे कोई अपराध करने से रोकना।

ख. अपराध की उचित जांच हेतु।

ग. अभियुक्त व्यक्ति को अपराध के साक्ष्य को गायब करने या किसी भी तरीके से ऐसे साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने से रोकना।

घ. ऐसे व्यक्ति को मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा करने से रोकना ताकि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए।

ङ. जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

39. दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 के प्रतिप्रेषण आदेश (पूर्वोक्त पुन: प्रस्तुत) में दर्ज है कि प्रतिप्रेषण आवेदन की प्रति श्रीऐप के माध्यम से अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा नियुक्त विद्वान अधिवक्ता को भेज दी गई थी। प्रतिप्रेषण आदेश का मात्र अवलोकन ही हमें यह संतुष्टि देने के लिए पर्याप्त है कि इन दो पंक्तियों को आदेश में बाद में डाला गया था, क्योंकि जिस लिपि में ये दो पंक्तियाँ लिखी गई थीं, वह आदेश के शेष भाग की तुलना में बहुत महीन है तथा इसके अलावा, ये दो पंक्तियाँ बाद में डाली जाने का स्पष्ट संकेत देती हैं। यह पूरी तरह संभव है कि विद्वान प्रतिप्रेषण न्यायाधीश ने प्रतिप्रेषण आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी हो तथा इस प्रकार, इन

पंक्तियों को बाद में बिना किसी नुकसान या दुर्भावना के जोड़ा गया हो, लेकिन तथ्य यह है कि प्रतिप्रेषण का आदेश पहले ही सुबह 6 बजे पारित किया जा चुका था एवं इसलिए, अधिवक्ता को प्रदान किया गया सुनवाई के बाद का अवसर, यदि कोई हो, व्यर्थ की कवायद के अलावा और कुछ नहीं था।

40. विद्‌वान अति.महा.सा. ने तर्क दिया कि अभियुक्त अपीलार्थी के विद्‌वान अधिवक्ता को व्हाट्सएप पर भेजी गई प्रतिप्रेषण आवेदन की प्रति गिरफ्तारी के आधार के बारे में पूरी जानकारी देती है। हमारा मानना है कि प्रतिप्रेषण आवेदन की विषय-वस्तु पर कोई भी टिप्पणी तथा क्या वास्तव में अभियुक्त को गिरफ्तारी के लिए समझने योग्य आधार बताए गए हैं या क्या वे इतने अस्पष्ट हैं कि उन्हें समझना असंभव होगा, मामले की विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

41. हालांकि, हम संक्षेप में यह उल्लेख कर सकते हैं कि अधिवक्ता को बताई गई गिरफ्तारी के आधार कमोबेश प्राथमिकी से लिए गए तथ्यों का विवरण हैं, जो अपने आप में किसी विशेष घटना या घटनाक्रम का संकेत नहीं देते हैं, जिसने कथित अपराधों को जन्म दिया। हालाँकि, विधि में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राथमिकी कोई विश्वकोश नहीं है और इसका पंजीकरण केवल आपराधिक न्याय की प्रक्रिया को गति देने के लिए किया जाता है। जांच अधिकारी को मामले की जांच करने और सभी प्रासंगिक सामग्री एकत्र करने का अधिकार है, जो संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने का आधार बनेगा।

42. श्री सिब्बल द्‌वारा यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, 22ग में की गई शर्तों के संदर्भ में विस्तृत तर्क दिए गए ताकि यह दावा किया जा सके कि भले ही प्राथमिकी एवं प्रतिप्रेषण आवेदन में बताए गए आधार रिकॉर्ड के आधार पर सही माने जाएं, लेकिन स्पष्ट रूप से, यह केवल अनुमानों और संदेहों के इर्द-गिर्द बुना गया एक काल्पनिक जाल है। यह तर्क दिया गया

कि यद्यपि प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी एवं विदेशी नागरिक नेविल रॉय सिंघम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कश्मीर के बिना भारत का मानचित्र कैसे बनाया जाए तथा अरुणाचल प्रदेश को विवादित क्षेत्र के रूप में कैसे दिखाया जाए, लेकिन तथ्य यह है कि ऐसा कोई मानचित्र तैयार या प्रकाशित नहीं किया गया था और न ही अपीलार्थी के पास या उसकी गिरफ्तारी की तिथि तक ऐसा कोई मानचित्र पाया गया था।

43. श्री सिब्बल ने यह भी तर्क दिया था कि अपीलार्थी को बिना किसी संकेत के गिरफ्तार किया गया कि वह भारत के कथित गलत मानचित्र से किस प्रकार जुड़ा हुआ था। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि प्राथमिकी में किसानों के आंदोलन का उल्लेख किया गया है, लेकिन यह ठीक प्रकारं से नहीं बताया गया है कि अपीलार्थी उन घटनाओं से कैसे जुड़ा था। उन्होंने तर्क दिया कि प्राथमिकी या प्रतिप्रेषण आवेदन में एक भी घटना का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे कथित अपराधों को जन्म मिल सके एवं प्राथमिकी बिना किसी उचित कारण या आधार के केवल अपीलार्थी को परेशान करने के लिए दर्ज की गई थी।

44. हम इस स्तर पर इन पहलुओं की जांच करने के लिए सहमत नहीं हैं, क्योंकि इसके लिए मामले के गुणागुण पर विचार करना आवश्यक होगा। यह न्यायालय की अधिकारिता में होगा कि वह आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामले की जांच करे। इस अपील में मुख्य मुद्दा उस प्रक्रिया की अवैधता से संबंधित है जिसके तहत अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया और पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया, जिसमें मामले के गुणागुण की जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

45. विद्वान अति.महा.सा. का यह प्रबल तर्क था कि *राम किशोर अरोड़ा* (पूर्वोक्त) के मामले में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने *पंकज बंसल* (पूर्वोक्त) के मामले में निर्णय की व्याख्या भावी प्रभाव के

रूप में की थी और इस प्रकार *पंकज बंसल* (पूर्वोक्त) का निर्णय अपीलार्थी की सहायता के लिए नहीं आ सकता है। निर्विवाद रूप से, यहां अपीलार्थी को दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 को पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया था, जबकि पंकज बंसल (पूर्वोक्त) के मामले में निर्णय दिनांक 3 अक्टूबर, 2023 को सुनाया गया था। निर्णय को देर से अपलोड करने के संबंध में केवल एक अनुमान के आधार पर, विद्वान अति.महा.सा. को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि *पंकज बंसल* (पूर्वोक्त) का निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होगा। अतः, विद्वान अति.महा.सा. श्री राजू की यह प्रस्तुत किया कि *पंकज बंसल* (पूर्वोक्त) में दिया गया निर्णय दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 को की गई प्रतिप्रेषण की कार्यवाही पर लागू नहीं होगा, त्रुटिपूर्ण है।

46. हमारा यह दृढ़ मत है कि एक बार जब इस न्यायालय ने संवैधानिक योजना के संदर्भ में कानून के प्रावधानों की व्याख्या कर दी है एवं यह निर्धारित कर दिया है कि गिरफ्तारी के आधार अभियुक्त को लिखित रूप में शीघ्रता से बताए जाने चाहिए, तो उक्त विनिश्चयाधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के आधार पर देश के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी विधि बन जाता है।

47. अब हम इस पहलू पर आते हैं कि क्या अपीलार्थी को जांच अधिकारी की अभिरक्षा में भेजे जाने से पहले गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में बताये गये थे।

48. हमने गिरफ्तारी ज्ञापन (अनुलग्नक पी-7) का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और पाया है कि इसमें कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि अभियुक्त को किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारी ज्ञापन महज एक निदर्शन पत्र है जिसमें औपचारिक रूप से उन 'कारणों' का उल्लेख होता है जिनके लिए अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा रहा था।

49. यह बात बार-बार दोहराई जा सकती है कि 'गिरफ्तारी के कारण' और 'गिरफ्तारी के आधार' वाक्यांशों में महत्वपूर्ण अंतर है। गिरफ्तारी ज्ञापन में बताए गए 'गिरफ्तारी के कारण' पूरी तरह से औपचारिक मापदंड हैं, अर्थात्, अभियुक्त व्यक्ति को आगे कोई अपराध करने से रोकना; अपराध की उचित जांच करना; अभियुक्त व्यक्ति को अपराध के साक्ष्य को गायब करने या किसी भी तरीके से ऐसे साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने से रोकना; गिरफ्तार व्यक्ति को मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा करने से रोकना ताकि उसे न्यायालय या जांच अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से रोका जा सके। ये कारण सामान्यतः किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे जिसे किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया गया हो, जबकि 'गिरफ्तारी के आधार' में जांच अधिकारी के पास मौजूद ऐसे सभी विवरण शामिल होने चाहिए जिनके कारण अभियुक्त की गिरफ्तारी आवश्यक हो। इसके साथ ही, गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सभी बुनियादी तथ्य बताए जाने चाहिए, जिनके आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, ताकि उसे अभिरक्षा में प्रतिप्रेषण के विरुद्ध अपना बचाव करने तथा जमानत प्राप्त करने का अवसर मिल सके। इस प्रकार, 'गिरफ्तारी का आधार' हमेशा ही अभियुक्त के लिए व्यक्तिगत होगा और इसे 'गिरफ्तारी के कारणों' के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, जो कि सामान्य प्रकृति के होते हैं।

50. उपरोक्त विस्तृत विश्लेषण से, न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि गिरफ्तारी के आधारों के बारे में लिखित रूप से संसूचना के कथित उपयोग में प्रतिप्रेषण आवेदन की प्रति दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 के प्रतिप्रेषण आदेश पारित करने से पहले अभियुक्त अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता को प्रदान नहीं की गई थी, जो अपीलार्थी की गिरफ्तारी और उसके बाद की प्रतिप्रेषण को अमान्य करती है।

51. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी इस न्यायालय द्वारा *पंकज बंसल* (पूर्वोक्त) मामले में दिए गए निर्णय के विनिश्चयाधार को लागू करके अभिरक्षा से रिहाई के लिए निर्देश का हकदार है।

52. तदनुसार, अपीलार्थी की गिरफ्तारी के बाद दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 का प्रतिप्रेषण आदेश एवं इसी प्रकार दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 को पारित आक्षेपित आदेश को कानून की दृष्टि में अवैध घोषित किया जाता है तथा उसे अपास्त एवं अभिखंडित किया जाता है।

53. यद्यपि हम अपीलार्थी को बंधपत्र या सुरक्षा प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बिना रिहा करने का निर्देश देने हेतु राजी हो गए थे, लेकिन चूंकि आरोप पत्र दायर किया गया है, इसलिए हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि अपीलार्थी को विचारण न्यायालय की संतुष्टि के लिए जमानत और बंधपत्र प्रस्तुत करने पर अभिरक्षा से रिहा किया जाएगा।

54. हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ऊपर की गई किसी भी टिप्पणी को मामले के गुणागुण पर टिप्पणी नहीं मानी जाएगी।

55. अपील इन शर्तों के साथ स्वीकार की जाती है।

56. यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका निपटान कर दिया जाएगा।

शीर्ष टिप्पण तैयार किए गए: दिव्या पांडे

मामले का परिणाम: अपील को अनुमति दी जाती है।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*

Disclaimer: *The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.*